न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
64 / 2019 / प्रार्थना पत्र	07.06.2019	06.08.2019

उनवान

1 मोहम्मद कासम पिता अल्लाहबक्ष पिनारा (मन्सूरी) नि0 फूलियांगेट शाहपुरा
– प्रार्थी

बनाम

बशीर मोहम्मद पिता अल्लाहबक्ष पिनारा (मन्सूरी) नि0 चारणों की गली के पास शाहपुरा
– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर. टी. ए.

उपस्थित :– 1 श्री आशीष पालीवाल :– अभिभाषक – प्रार्थी
2 श्री संजय सिहं हाडा :– अभिभाषक – विपक्षी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विपक्षी सगे भाई होकर दोनों की संयुक्त खरीदशुदा कृषि आराजी नम्बर 1891 रकबा 0.59, 1892 रकबा 0.60, 1893 रकबा 0.30, 1894 रकबा 0.04, 1895, रकबा 0.49, 9868 / 1895 रकबा 0.27 किता 6 रकबा 2.29 हैक्टेयर ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में स्थित है। उक्त आराजियात में प्रार्थी व विपक्षी का 1 / 2 – 1 / 2 हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी व विपक्षी ने वर्ष 2009 मे अपने अपने 1 / 2 – 1 / 2 हिस्से का बंटवाड़ा कर एक स्टाम्प दिनांक 28.07.2009 को दोनों पक्षकारान् ने लिखा पढी करा कर तहरीर कराया व गवाहों के समक्ष प्रार्थी व विपक्षी ने अपने–अपने हस्ताक्षर कर नोटेरी से प्रमाणित करा दिया। बंटवाडे का स्टाम्प विपक्षी स्वयं खरीद कर लाया था। उक्त बंटवाडानामा में कुआं की आराजी संख्या 1894 रकबा 0.04 हैक्टेयर सामलाती रखी गई थी। प्रार्थी के हिस्से में आराजी नम्बर 1891 रकबा 0.59, 1892 रकबा 0.32, 1893 रकबा 0.07, 1895, रकबा 0.15, कुल किता 4 कुल रकबा 1.1250 = 1.13 हैक्टेयर एवं विपक्षी के हिस्से में आराजी नम्बर 1895 रकबा 0.49, 1892 रकबा 0.2850, 1893 रकबा 0.23 एवं 9869 / 1895 रकबा 0.12 कुल किता 4 कुल रकबा 1.1250 = 1.13 हैक्टेयर आई है। लेकिन विपक्षी के मन में लोभ आ जाने से प्रार्थी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। विपक्षी प्रार्थी को अपने साथ ले गया और दिनांक 18.04.2012 को कुएं के सम्बन्ध में बिकाऊनामा का स्टाम्प लिखवा दियाऔर इसी दिनांक को एक रजिस्ट्रर्ड हकत्याग भी विपक्षी के कुएं की आराजी बाबत् लिखवाया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 2902 दिनांक 26.04.2012 को खुलवा लिया। प्रार्थी ने अपने कृषि भूमि में लागत् लगाकर उपजाऊ बना

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

दी और वर्ष 2012–13 में कासम बाग नाम से एक दरगाह बना दी तथा चारों ओर पक्का निर्माण कराया, जिसमें नियमित रूप से उर्स मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हो रहा है। विपक्षी के हिस्से में आई भूमि की पत्थरगढी हेतु आदेश दिनांक 14.12.2016 को पारित हुआ। दिनांक 16.04.2017 को पत्थरगढी कर दी गई। विपक्षी की नियत में फितूर आ जाने से कुएं की आराजी चाह नम्बर 1894 में से प्रार्थी की 0.01 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर दरगाह की दीवार आ रही है, जिसे गिराना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नही है। विपक्षी आये दिन आराजी संख्या 1894 में से 0.01 हैक्टेयर कृषि भूमि जो प्रार्थी के कब्जे में है। बेदखल करने की धमकी देता है। इस कारण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी को पावन्द कराया जाना आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना प्रस्तुत किया जा रहा है। कब्जा व उपयोग, उपभोग प्रार्थी करता चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षी द्वारा उसे बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी अपने हको , अधिकारों से वंचित हो जायेगा। दीवार को गिरा दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन नही किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी के विरूद्ध इस आशय के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि ग्राम शाहपुरा में स्थित आराजी संख्या 1894 रकबा 0.01 हैक्टेयर जिस पर प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी की दरगाह की दीवार बनी हुई है। उसे विपक्षी किसी प्रकार से नही हटाये तथा प्रार्थी को पूर्वानुसार उसके शान्तिपूर्वक उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा न तो, विपक्षी स्वयं करे, न अपने नौकरों, एजेन्टों व परिजनों से करावें।

प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08.07.2019 को विपक्षी की ओर से अभिभाषक श्री संजय सिंह हाडा उपस्थित हुये। दिनांक 22.07.2019 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, क्रोस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी को दी गई। दस्तावेज भी पेश किये गये , जो शामिल फाईल किये गये। जवाब व क्रोस का प्रार्थना में बताया गया कि दिनांक 17. 04.2012 को निष्पादित किये गये बंटवाड़ेनामें में कुएं की आराजी का वर्णन नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण प्रार्थी द्वारा विपक्षी के पक्ष में कुएं की आराजी का हक त्याग की डीड निष्पादित की गई, उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी के नाम दर्ज किये गये। विपक्षी द्वारा आराजी संख्या 1894 रकबा 0.04 हैक्टेयर की एवज में प्रार्थी को विपक्षी की आराजी के दक्षिणी दिशा में 0.01 हैक्टेयर आराजी देने का कोई ईकरार नही किया गया। प्रार्थी द्वारा तथाकथित कूटरचित स्टाम्प दिनांक 18.04.2012 का जो प्रस्तुत किया जा रहा है। वह प्रारम्भ से ही शून्य है। दिनांक 04.07.2016 को विपक्षी ने अपने हिस्से की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी पालना में पत्थरगढ़ी की गई। परन्तु पालना के बाद से ही विपक्षी पत्थरगढी से असन्तुष्ट था। इसी क्रम में दिनांक 06.03.2019 को सीमा ज्ञान करवाया। जिसका मौका पर्चा तैयार किया गया। जिससे स्पष्ट हुआ कि विपक्षी के हक हिस्से में आई कृषि आराजियात की दक्षिणी दिशा की पाटी लगभग 5 से 7 मीटर प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है एवं प्रार्थी ने इस अतिक्रमण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो खारिज होने योग्य है। प्रकरण संख्या 500/16 निर्णय दिनांक 14. 12.2016 के आदेशानुसार पत्थरगढ़ी कर विपक्षी द्वारा एतराज करने के कारण दिनांक 04. 07.2019 को तहसीलदार शाहपुरा को पत्थरगढ़ी के लिए आदेशित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 11.07.2019 को विपक्षी के खाते की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

की गई। जिसमें विपक्षी की आराजी की पूर्वी मेड पर 5 मीटर एंव दक्षिणी पश्चिमी मेड पर 4 मीटर कब्जा प्रार्थी ने कर रखा है। विपक्षी ने लोहे के एंगल लगाकर अपनी हक हिस्से की आराजी को अपने कब्जे में ले लिया है एवं उपयोग, उपभोग किया जा रहा है। विपक्षी की आराजियात के दक्षिणी दिशा में 180 वर्ग मीटर पर पक्का निर्माण प्रार्थी ने कर रखा है। वह एक अस्थायी निर्माण हो रखा है। उक्त अस्थायी निर्माण विपक्षी की बिना सहमति के उक्त अतिक्रमण प्रार्थी के द्वारा किया गया है जिसे हटवाने का विपक्षी पूर्ण हक एवं अधिकार रखता है। अतः विपक्षी का जवाब, क्रोस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इस रूबरू प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया फरमाया जावें तथा विपक्षी के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रार्थी विपक्षी के खाते काश्त की आराजी नम्बर 1892, 1893, 1894, 1895, 9868/1895 रकबा क्रमशः 0.28, 0.23, 0.04, 0.49, 0.12 हैक्टेयर कुल कित्ता 5 रकबा 1.16 हैक्टेयर आराजियात के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित ना करें। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा क्रोस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करनी चाही जिससे दिनांक 23.07.2019 को बहस उभयपक्ष समायत की गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि दोनों सगे भाई होकर उनके मध्य बटवाड़ा हो चुका है। खसरा नम्बर 1894 रकबा 0.04 हैक्टेयर संयुक्त 2012 तक था। दिनांक 18.04.2012 को एग्रीमेन्ट के प्रार्थी ने अपने हिस्से को विपक्षी को कर दिया है। हकत्याग 0.01 हैक्टेयर भूमि विपक्षी की भूमि प्रार्थी को मिलनी थी। 0.01 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी ने दरगाह का निर्माण किया। विपक्षी ने 2016 में पत्थरगढ़ी करवाई। दिनांक 11.07.2019 को पुनः पत्थरगढ़ी करवाई। मौके पर यथास्थिति बनाई रखी जावें। नियमानुसार कब्जा लेने की कार्यवाही की जावें। अभिभाषक विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि पत्थरगढी रूकवाने का वाद पत्र में कहीं उल्लेख नही है। दिनांक 17.04.2012 के बंटवाडे में 0.01 हैक्टेयर भूमि का इकरारनामा, पत्थरगढ़ी मेरे खाते की भूमि की हुई है। 0.8 हैक्टेयर भूमि मेरी दबी हुई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण मेरा है। सुविधा सन्तुलन भी मेरे पक्ष में है। अतः प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु 3 विधिक बिन्दुओं को देखा जाना आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टव्या प्रकरण :– जमावन्दी ग्राम शाहपुरा संवत् 2072 से 2075 अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 1894 रकबा 0.04 हैक्टेयर गैरमुमकिन आचा वर्तमान में प्रार्थी मोहम्मद कासम के नाम दर्ज रिकॉर्ड नही होकर विपक्षी बशीर मोहम्मद साकिन दे हके नाम खातेदारी से अन्य आराजियात 1892 रकबा 0.28, 1893 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 1895 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 9868/1895 रकबा 0.12 हैक्टेयर के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही होकर विपक्षी खातेदार होने से उसका प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है।
2. अपूर्तनीय क्षति का सिद्धान्त :– प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड नही है। अतः उसे वादग्रस्त आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो किसी प्रकार अपूर्तनीय क्षति नही होगी, जबकि विपक्षी वर्तमान में खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होकर उसे बेदखल कर दिया गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही होगा।
3. सुविधा सन्तुलन :– उपरोक्त दोनों विधिक बिन्दु प्रार्थी के पत्र में नही होने से सुविधा सन्तुलन भी उसके पक्ष में नही बनता है। सुविधा सन्तुलन भी विपक्षी के पक्ष में बनता है। अतः उपरोक्त विधिक बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षी के सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 ताफैसला वाद स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रार्थी के अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वाके ग्राम शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 1892, 1893, 1894, 1895, 9868/1895 रकबा क्रमशः 0.28, 0.23, 0.04, 0.49, 0.12 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.16 हैक्टेयर आराजियात के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पारित ना करें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

Scanned by CamScanner